

न्यायालय अपर सिविल जज/न्या० मजि० खुर्जा, बुलन्दशहर।
वाद सं०—687/2019
अपराध सं०—59/2019
सरकार बनाम अकील।
थाना— अरनिया, जनपद, बुलन्दशहर

आरोप

मैं, **यज्ञेश कुमार सोनकर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (अ०ख), खुर्जा, बुलन्दशहर, एतद्वारा आप अभियुक्त अकील निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ।

यह कि दिनांक 26.03.2019 को समय करीब 11:10 बजे स्थान रोहिन्दा मोड़ के पास, अन्तर्गत थाना क्षेत्र अरनिया, जिला बुलन्दशहर में आपको पुलिस दल गिरफ्तार किया गया और तलाशी लेने पर आपके कब्ज से 30 पक्के देशी शराब मिश्र इण्डिया मार्का बरामद हुई जिसे रखने का आपके पास वैध अनुज्ञापत्र नहीं था। इस प्रकार आपने आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है। जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक—18.07.2024

(यज्ञेश कुमार सोनकर)
अपर सिविल जज/न्या० मजि०
खुर्जा, बुलन्दशहर।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया, जिससे उसने इंकार किया एवं विचारण चाहा।

दिनांक—18.07.2024

(यज्ञेश कुमार सोनकर)
अपर सिविल जज/न्या० मजि०
खुर्जा, बुलन्दशहर।